

UPAZ010057582026



Presented on : 17-06-2026
 Registered on : 17-06-2026
 Decided on : 16-07-2026
 Duration : 0 years, 0 months, 29 days

**न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
 (भ्रष्टा०नि०अधि०), विशेष न्यायालय संख्या-01, आजमगढ़।**

उपस्थित: अजय कुमार शाही (एच०जे०एस०)

J.O. Code-U.P.6082

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2497/2026

राकेश आदि।

-----आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

-----विपक्षी।

दिनांक-16.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण संदीप यादव, रंजना यादव, चन्दा यादव, प्रदीप यादव, की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या-149/2026, अंतर्गत धारा-125, 115(2), 351(3) व 76 बी.एन.एस, थाना-निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र द्वारा समर्थित है।
2. राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का उल्लेख किया गया है और इसी आशय का पृष्ठांकन " Not pressed" उनके द्वारा आदेश पत्रक के हाशिए पर भी किया गया है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(अजय कुमार शाही)

J.O.Code-U.P. 6082

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टा०नि०अधि०),

विशेष न्यायालय संख्या-01, आजमगढ़।